

आह्वान पत्रावली केंद्र कोर्ट/ लोक अदालत
में दिनांक 6.6.20 को पेश हो।

एस डी ओ/ रीटर

6/6/20
आह्वान पत्रावली केंद्र कोर्ट में पेश हो। वही चाकर (डिप्टी)
होया जाता है। जिसके पुस्तक से आह्वान किया गया।
आह्वान पत्रावली केंद्र कोर्ट में पेश हो।
वही चाकर कोर्ट में पेश हो।

राजस्थान सरकार

111 3

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प.....पुत्र.....

पीठासीन अधिकारी ... श्री विश्वाश्वर श्रीवा R.A.S
अमर सिंह उनवान अहिरा
बनाम.....

दावा आकार:- रु. 50.00 रु. 188 रु. 1000 रु. का है.

मुद्रण संख्या:- 208/17

निर्णय दिनांक:-

वादी की ओर सेकी व प्रतिवादी की ओर से

की उपस्थिति में आज तारीखको(नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम

निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि - विवाह सारणी 200

सं. 592/0.04 के अन्तर्गत वादी श्री श्रीवाश्वर श्रीवा को प्रतिवादी अमर सिंह के अन्तर्गत अन्तिम
निपटारे के लिए पेश किया जाता है कि वादी की पक्ष में प्रमाण व अन्तिम निपटारे
में वादी की पक्ष में प्रमाण व अन्तिम निपटारे के अन्तर्गत अन्तिम निपटारे के अन्तर्गत अन्तिम निपटारे

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।
यह आज तारीख 11.11.17 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वाश्वर श्रीवा R.A.S)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम